न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील / 27 / 2018

विजयपाल पुत्र श्री बृजेन्द्र जाति जाट निवासी बरौली छार तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलार्थी0

बनाम

1– बृजेन्द्र पुत्र सांवल जाति जाट निवासी बरोलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... उत्तरवादी असल

2–लखन पुत्र बृजेन्द्र ।
3–अजीत पुत्र विजयपाल । जाति जाट निवासी बरौलीछार तहसील नदबई
4–गुडडी पत्नी विजयपाल । जिला भरतपुर

..... उत्तरवादी तरतीबी

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 4.9.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई अन्तर्गत प्रकरण संख्या 5 / 2018 अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक 17.11.2022

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 4.9.2018 के पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपने आदेश दिनांक 4.9.2018 में दोनों पुत्र विजयपाल एवं लखन प्रत्येक को भरण पोषण राशि 1000 / – 1000 / – रुपये पिता रेस्पो. बृजेन्द्रसिंह पुत्र सांवल के बैंक खाते में जमा कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9.2018 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.9.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अपीलान्ट वकील उपस्थित, रेस्पो बृजेन्द पुत्र सांवल स्वयं उपस्थित आया। रेस्पो. तरतीवी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि उसकी अपील मीमो में कथन ही उसकी बहस है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। रेस्पो. बृजेन्द्र का कहना है कि वह 85 साल का बूढा है, उसके दोनों पुत्र उसे रोटी पानी नहीं देते हैं तथा एस.डी.ओ. साहब डीग द्वारा बाधी गई राशि भी नहीं देते हैं, मैं पेरशान हूँ, उसने दोनों पुत्रों से 1000 / – 1000 / – रुपये राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अपील/27/2018
विजयपाल बनाम बृजेन्द्र वगै0

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। अपीलान्ट का पिता बृजेन्द्र वृद्ध बुर्जग व्यक्ति है, तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपने आदेश दिनांक 4.9.2018 में बृजेन्द्र भरण पोषण हेतु उसके दोनों पुत्र विजय पाल एवं लखनसिह को 1000/– 1000/– प्रत्येक पिता रेस्पो.बृजेन्द्र के बैंक खाते में जमा कराने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट विजयपाल ने अपनी अपील में जो कथन किये वे निराधार हैं। अपीलान्ट अपील में अंकित कथनों से अपने कर्त्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकता, एक पुत्र होने के नाते बृद्धावस्था में अपने बृद्ध पिता की सेवा करना उनकी बुढ़ापे में देखभाल करना उसका कर्त्तव्य है। अतः दोनों पुत्रों का दायित्व है कि वे अपने बुढे बाप की सेवा सुश्रा (भरण पोषण) करें। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशानुसार दोनों पुत्र विजयपाल एवं लखन 1000/– 1000/– प्रत्येक प्रति माह रेस्पो पिता बृजेन्द्र को अदा करे। उपखण्ड अध्किारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश की पालना कठारेता से कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्राावली वापिस उपखण्ड अधिकारी नदबई को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर